कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 27/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. **"मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए एक अबोध बालिका के साथ हुए क्रूर अपराध के अभियुक्त को कठोरतम सजा माननीय न्यायालय द्वारा कराई गई।**

उक्त अपराध के घटनाक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां:-
FIR का दिनांक- 20.07.2025
अभियुक्त की गिरफ्तारी का दिनांक -21.07.2025
आरोप पत्र प्रेषित किए जाने का दिनांक -27.08.2025
आरोप पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने का दिनांक - 09.09.2025
आरोप विरचित किए जाने का दिनांक - 12.09.2025
फैसले का दिनांक -26.09.2025

उक्त घृणित अपराध एक सौतेले बाप द्वारा ही कारित किया गया था। वादिनी मुकदमा के तहरीर पर थाना शादियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या- 243/2025 धारा – 65(2) BNS व 5 (i)/M/N/6 पॉक्सो एक्ट दिनांक-20.07.2025 को पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग की त्वरित विवेचना थाना प्रभारी शादियाबाद श्री श्याम जी यादव द्वारा ठोस मौखिक तथा सटीक फोरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से संपादित किया गया। जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के उपरान्त माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते Day To Day Basis पर प्रतिदिन तारीखें लगाई। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियुक्त को आरोप विरचित होने के मात्र 15 दिवस के अंदर कठोरतम

सजा का निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को किया गया। उक्त त्वरित फैसले से इस सामाजिक और घृणित अपराध पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

सजा का विवरण (कितने अभियुक्त थे, किनको कितनी सजा मिली) – कुल 01 नफर अभियुक्त अशोक बनवासी पुत्र स्व0 लालता बनवासी निवासी सराय गोकुल थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 5 (i)/5M/5N/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास (मृत्यु तक) तथा 1,00,000/- (01 लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

सजा देने वाले माननीय न्यायालय का नाम – विशेष न्यायिक पॉक्सो कोर्ट

सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस व अभियोजन कार्मिकों का विवरण-

पैरोकार- थाना शादियाबाद हे0का0 दशरथ लाल बिन्द

उ0नि0 श्री जमुना प्रसाद मानिटरिंग सेल मय कर्मचारीगण

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राम प्रताप मिश्रा

अभियोजन अधिकारी (SPO) श्री प्रभु नारायण सिंह

विवेचक - निरीक्षक श्री श्यामजी यादव

आपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में अभियोजन साक्षियों को समय से माननीय न्यायालय में उपस्थित कराने में स्थानीय पुलिस का योगदान प्रशंसनीय रहा है। क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में मानटरिंग सेल द्वारा सघन पैरवी कर अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराई गई

02. थाना नंदगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2025 को उ0नि0 श्री शिवपूजन मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सगरा चट्टी के पास स्थित बाग से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 01. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 दगलू राम 02. सोनू कुमार पुत्र मिश्री राम को गिरफ्तार किया गया । जिसमें गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 दगलू राम निवासी ग्राम तुरना थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष
02. सोनू कुमार पुत्र मिश्री राम निवासी ग्राम तुरना थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी :-

01 अदद पुरानी इस्तेमाली हैण्डपम्प बाडी, हत्था तथा समरसेबुल

03. थाना सुहवल पुलिस द्वारा फौ0मु0नं0 2029/18 धारा 147,452,323,504 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2025 को उ0नि0 भोलानाथ सरोज मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर फौ0मु0नं0 2029/18 धारा 147,452,323,504 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को ढढनी भानमल राय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा वारण्टी का नाम व पता-</u>

01. धनई पुत्र स्व0 संतोषी यादव निवासी ढढनी भानमल राय थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

<u>04.आदरणीय महोदय सराहनीय कार्य जनपद गाजीपुर</u>

<u>“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।</u>

दिनांक 26.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 575/2011 धारा – 323/34/504,506(11) भादवि व 3(1) 10 SC/ST Act से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण 01. पवन कुमार उर्फ खरजू यादव पुत्र स्व0 सुभाष यादव, 02. संजय यादव पुत्र स्व0 पारस नाथ यादव 03. अभिमन्यु उर्फ मन्नू यादव पुत्र स्व0 पारस नाथ यादव निवासीगण अहरौली टोली सोनियापार थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण को धारा 323/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 02-02 वर्ष का कारावास व 2000-2000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 506(2) भादवि में 04- 04 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रु0 अर्थदण्ड , अभियुक्तगण पवन कुमार उर्फ खरजू यादव व अभिमन्यु उर्फ मन्नू यादव को अंतर्गत धारा 3(1)10 sc/st Act में 01-01 वर्ष का कारावास व 1,000-1,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर